प्रेस नोट
दिनांक 18.08.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से जानलेवा हमला करने के 04 आरोपी अभियुक्तों को हुई 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को रूपये 47,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.03.2023 को थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा पर वादी श्री रामजी चौबे पुत्र युधिष्ठिर चौबे ग्राम चौबेपुरवा मौजा बाबपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा द्वारा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षीगण जमीन की रंजिश के कारण लाठी-डंडा लेकर उनके घर पर आकर उनके बड़े भाई, भतीजे एवं पुत्र को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मारपीट के दौरान उनके भाई के सिर में गंभीर चोट लगने से सिर फट गया और वह मौके पर ही गिरकर बेहोश हो गए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 01. त्रिपुरारी, 02. श्याम जी चौबे, 03. नरसिंह चौबे व 04. पवन कुमार चौबे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 31.05.2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 18.08.2026 को थाना कटराबाजार में पंजीकृत जानेलवा हमला सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री वंसत कुमार शुक्ला, थाना कटराबाजार के पैरोकार हेड का0 सुनील शुक्ला व कोर्ट मोहर्रिर म0का0 संध्या चौरसिया के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0न्यायालय सत्र न्यायाधीश श्री दुर्ग नारायण सिंह द्वारा अभियुक्तों 01. त्रिपुरारी, 02. श्याम जी चौबे, 03. नरसिंह चौबे व 04. पवन कुमार चौबे को दोषसिद्ध करते हुए 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 47,000-47,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

1. त्रिपुरारी चौबे पुत्र दयाशंकर चौबे निवासी चौबेपुरवा मौजा बाबूपुर थाना कटराबाजार, गोण्डा।
2. श्याम जी चौबे पुत्र दयाशंकर चौबे निवासी चौबेपुरवा मौजा बाबूपुर थाना कटराबाजार, गोण्डा।
3. नरसिंह चौबे पुत्र दयाशंकर चौबे निवासी चौबेपुरवा मौजा बाबूपुर थाना कटराबाजार, गोण्डा।
4. पवन कुमार चौबे पुत्र दयाशंकर चौबे निवासी चौबेपुरवा मौजा बाबूपुर थाना कटराबाजार, गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0-121/23, धारा 323, 504, 506, 452, 308, 324, 307, 325, 34 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक - 18.08.2026

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा मोटर पम्प चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 अदद मोटर पम्प बरामद ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 -197/2026, धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित मोटर पम्प चोरी करने के आरोपी अभियुक्त- शिवराज पुत्र गुरुबचन निवासी ग्राम देवरिया कला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को भवनियापुर से पहले नहर के पुलिया से गिरफ्तार उसके कब्जे से 02 अदद पानी का मोटर पम्प बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी दिनेश कुमार शुक्ला पुत्र लाल साहब शुक्ला निवासी देवरिया कला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 05.08.2026 को थाना खरगूपुर पर सूचना दिया गया दिनांक 30.07.2026 की रात्रि में उनके निर्माणाधीन प्लाट देवरिया कला में लगे01 बिजली मोटर व प्लाट पर रखा 01पुराना मोटर अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। वादी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 197/2026, धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । आज दिनांक 18.08.2026 को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शिवराज पुत्र गुरुबचन निवासी ग्राम देवरिया कला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को भवनियापुर से पहले नहर के पुलिया से गिरफ्तार उसके कब्जे से 02 अदद मोटर पम्प बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय गोण्डा रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शिवराज पुत्र गुरुबचन निवासी ग्राम देवरिया कला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0स0 -197/2026, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 चन्द्रदीप मिश्रा
2. हे0का0 राहुल मिश्रा
3. का0 सत्यजीत मौर्या

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक – 18.08.2026

पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र द्वारा पुलिस अधीक्षक गोण्डा के साथ जनपद गोण्डा के समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों के साथ पुलिस लाइन सभागार में सावन माह एवं आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण की समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गयी-

आज दिनांक 18.08.2026 को आगामी पर्व के दृष्टिगत पुलिस लाइन सभागार, गोण्डा में श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र श्री अशोक कुमार शुक्ला द्वारा श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के साथ जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के साथ एक समीक्षा एवं समन्वय गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान आगामी पर्वों को विगत वर्षो की भांति शांति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था के साथ संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक का मुख्य उद्देश्य सावन माह एंव आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा एवं आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण आदि रहा।

श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक देविपाटन परिक्षेत्र गोण्डा श्री अशोक कुमार शुक्ला द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि आगामी त्यौहारों को शांतिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों पर प्रभावी निगरानी, नियमित पैदल गश्त, रात्रि गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग सुनिश्चित की जाए। संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। धार्मिक कार्यक्रमों, जुलूसों एवं शोभायात्राओं के आयोजकों से समन्वय स्थापित कर निर्धारित मार्ग एवं व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित कराने तथा किसी भी प्रकार की अफवाह अथवा भ्रामक सूचना को फैलने से रोकने हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभावी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में लंबित अभियोगों, गंभीर एवं जघन्य अपराधों, वांछित अभियुक्तों, वारंटियों तथा विवेचनाओं की स्थिति की समीक्षा की गयी। साथ ही जनसुनवाई को प्राथमिकता देते हुए थाने पर आने वाले फरियादियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने एवं उनकी शिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर भी विशेष जोर दिया गया।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत थाना स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर उसे धरातल पर लागू किया जाए। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर कानून-व्यवस्था का जायजा लें तथा छोटी से छोटी सूचना को भी गंभीरता से लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। सार्वजनिक एवं संवेदनशील स्थानों, धार्मिक स्थलों, बाजारों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नियमित पुलिस गश्त एवं चेकिंग की जाए। त्यौहारों के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु यातायात पुलिस एवं थाना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से प्रभावी यातायात प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई, अवैध शराब, मादक पदार्थ एवं अवैध शस्त्रों की तस्करी/बिक्री के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया जाए। अपराध घटित होने से पूर्व उसकी रोकथाम हेतु बीट पुलिसिंग एवं मुखबिर तंत्र को और अधिक सक्रिय किया जाए। महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई, महिला बीट अधिकारियों द्वारा नियमित भ्रमण एवं महिलाओं/बालिकाओं से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए। त्यौहारों के दौरान पुलिस की मौजूदगी एवं सक्रियता स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में कानून-व्यवस्था प्रभावित नहीं होने दी जाएगी।

सभी अधिकारी स्वयं क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करें और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को सदैव अलर्ट मोड में रखें। आपसी समन्वय, टीम भावना एवं पूर्ण सतर्कता के साथ कार्य करते हुए आगामी त्यौहारों को शांतिपूर्ण, सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, समस्त क्षेत्राधिकारी सहित सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन, यातायात प्रभारी तथा अन्य शाखाओं के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।